

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.04.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 02-04-2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➡थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.तुफानी चौहान पुत्र दुखी चौहान सा0 पैना एकडंगा थाना बरहज देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 01.जितेन्द्र गुप्ता पुत्र रामचीन गुप्ता सा0 भीमपुर थाना कोतवाली देवरिया 02.रामभवन गोड़ पुत्र स्व0 हीरालाल गोड़ सा0 भीमपुर थाना कोतवाली देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 शीशी अवैध बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 01.शेरु प्रसाद पुत्र सिकाऊ प्रसाद सा0 रुस्तमपुर थाना रामपुर कारखाना देवरिया 02.दुर्गेश कुशवाहा पुत्र परभंष कुशवाहा सा0 अगया थाना कसया कुशीनगर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02-निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 02.04.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 20 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

03-जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 02-04-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 101 वाहनों से 1,09,500/- रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।